राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांकः प10(859)/परि/स.सु./T.N. Model/2019/16763 दिनांकः 31/8/2020

कार्यालय आदेश 21/2020

डीलर्स पाइंट पर सड़क सुरक्षा कॉर्नर विकसित करने हेतु दिशा निर्देश

राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 23,000 सड़क दुर्घटनाओं में 10,500 से अधिक व्यक्ति असमय ही काल कवलित हो जाते हैं जिनमें 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। सड़क दुर्घटना में युवा सदस्य की असमय मृत्यु परिवार के लिए मानसिक आघात लाती है तथा यह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं इससे हो रही जान–माल की क्षति को कम करने के लिए राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है तथा इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।

सुगम एव सुरक्षित यातायात हम सभी की एक प्राथमिक आवश्यकता है जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ–साथ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि नए वाहन की खरीद एवं जानकारी हेतु बड़ी संख्या में आमजन दोपहिया एवं चौपहिया वाहन शोरूम पर जाते हैं जिनमें युवाओं की संख्या अधिक है। वाहन शोरूम पर वाहन डीलर्स के प्रतिनिधियों द्वारा आगंतुकों को वाहन की सामान्य तथा तकनीकी जानकारी भी प्रदान की जाती है। वाहन की जानकारी के साथ–साथ यदि इन प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी से भी अवगत करवाया जाए तो यह आमजन के लिए श्रेयस्कर होगा।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करना नितांत आवश्यक है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे कारित मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2020–21 (बिन्दु संख्या 129) की अनुपालना में तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर राजस्थान सड़क सुरक्षा रोड मैप तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त दोपहिया एव चार पहिया वाहन शोरूम में सड़क सुरक्षा कॉर्नर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. वाहन शोरूम में उपलब्धता के अनुरूप अच्छी दृश्यता वाले स्थान का चुनाव कर अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा कॉर्नर विकसित किया जाए।
2. कॉर्नर में सड़क सुरक्षा के रोचक एवं ज्ञानवर्धक क्रिएटिव प्रदर्शित किए जाएं। यह क्रिएटिव पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, स्टेंडी, सनबोर्ड, कटआउट एवं मैसकॉट इत्यादि के

रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। क्रिएटिव्स में विक्रेता द्वारा विवेकानुसार ब्राडिंग की जा सकेगी।

3. क्रिएटिव्स के प्रदर्शन हेतु सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे वाहन चलाते समय सेफ्टी गियर (हेलमेट, सीटबेल्ट व चाइल्ड रिस्ट्रेंट) का इस्तेमाल, तेज़ गति, ओवरटेकिंग, नशे में वाहन चलाना, नींद व थकान में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, कम उम्र में वाहन चलाना, ओवर क्राउडिंग, यातायात संकेत, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम – 2019 के प्रमुख प्रावधान एवं मोटर वाहन चालन विनियम – 2017 के मुख्य बिंदुओं तथा जीवन रक्षक प्रणाली एवं गुड सेमेरिटन (अच्छा मददगार) के अधिकार इत्यादि का चयन किया जा सकता है। उक्त सामग्री विक्रय किए जा रहे वाहन की श्रेणी (दोपहिया / चार पहिया / अन्य) के अनुसार हो सकती है।

4. संभव होने पर विक्रेता द्वारा सड़क सुरक्षा कॉर्नर हेतु LED Display (40" अथवा उससे बड़ा) भी लगाया जा सकता है जिस पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एनिमेशन अथवा शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रदर्शित की जाने वाली शॉर्ट फिल्म्स की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु फिल्म्स राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. स्थान की उपलब्धता के आधार पर सड़क सुरक्षा कॉर्नर में सेल्फी ज़ोन व विज़िटर सिग्नेचर वॉल भी विकसित की जा सकती हैं।

6. आमजन को सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों की जानकारी देने हेतु उक्त क्रिएटिव्स को विक्रेता द्वारा समय–समय पर बदला जाएगा।

7. शोरूम में कार्यरत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक आगंतुक का सड़क सुरक्षा कॉर्नर पर आगमन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. विक्रेता द्वारा शोरूम में कार्यरत समस्त स्टाफ/प्रतिनिधियों को वर्ष में एक बार सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण/ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019/ मोटर वाहन चालन विनियम, 2017/ यातायात संकेत, सड़क चिन्ह एवं रोड मार्किंग/ जीवन रक्षक प्रणाली एवं गुड सेमेरिटन के अधिकार इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

9. शोरूम में कार्यरत स्टाफ / प्रतिनिधि अपने दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालना करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

10. विक्रेता द्वारा सड़क सुरक्षा कॉर्नर विकसित करने, सड़क सुरक्षा क्रिएटिव्स का निर्धारण/निर्माण करने एवं प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकेगा।

11. सड़क सुरक्षा कॉर्नर में आगंतुकों के सड़क सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त करने हेतु एक विज़िटर बुक रखी जाएगी।

12. सड़क सुरक्षा कॉर्नर के अन्तर्गत आमजन को दी जा रही जानकारी एवं प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिएटिव्स का प्रचार–प्रसार विक्रेता के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी किया जाएगा।

13. प्रत्येक जिले से तीन श्रेष्ठ सड़क सुरक्षा कॉर्नर्स का चुनाव कर परिवहन विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा जिसके लिए पृथक से विक्रेताओं को सूचित किया जाएगा।

14. समस्त वाहन विक्रेता दिनांक 31.08.2020 तक वाहन शोरूम में सड़क सुरक्षा कॉर्नर विकसित कर जिले में स्थित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय को सूचना भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने परिवहन जिले में स्थित सभी वाहन विक्रेताओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प10(859)/परि/स.सु./T.N. Model/2019/16764-70 दिनांकः 31-8-2020

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा./रिट/नियम/यो.वि./प्रवर्तन), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, राजस्थान।
5. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग राजस्थान को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
6. समस्त अधिकारीगण, राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स. सु.)